



कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक:- एफ-56 () सि0ला0जो0 / ननिज / 2023 / 1388

दिनांक:- 12/06/2023

सार्वजनिक सूचना

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड सं. जी-4 बनीपार्क विस्तार योजना, जयपुर, क्षेत्रफल 220.00 व.ग. का विक्रय पत्र/पट्टा विलेख श्री रामकिशोर पुत्र श्री कल्याण सहाय के नाम से दिनांक 07.07.1970 को जारी किया गया था। जो कि उप पंजीयक कार्यालय, जयपुर शहर द्वारा रजिस्टर्ड नं., 2161 बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 338, पेज नं. 267, दिनांक 12.08.1970 पर पंजीकृत किया गया था। कार्यालय नगर निगम जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अण्डरटेकिंग व अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदक श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के नाम से उक्त भूखण्ड सं. जी-4-ए का दिनांक 24.02.2020 को उपविभाजन पत्र जारी किया गया एवं दिनांक 05.11.2020 को नामहस्तान्तरण पत्र जारी किया गया है। आवेदक द्वारा भूखण्ड सं. जी-4 का मूल पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दिनांक 01.03.2023 को दर्ज करवाई गई है।

अतः उक्त गुम हुए पट्टों को निरस्त करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सुसंगत दस्तावेज लिखित आपत्ति करे। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा नियमानुसार पूर्व में जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर आवेदक के नाम से फ्री-होल्ड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आप स्वयं के स्तर पर सार्वजनिक सूचना दृष्टान्त फोन्ट साईज में आमजन में प्रचलित राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की 04 प्रतियां इस कार्यालय में उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावे।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज